कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट (कैन) का कुल स्टाक नीचे दिया गया हैं :-

ठोस – 9542 मीटरी टन
घटिया – 18768 मीटरी

निगम के पंजाब क्षेत्र ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अनुदेशों के अनसार केन्द्रीय/राज्य सरकारों के स्वामित्व के संयुक्त सेक्टर के उपक्रमों को घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट बेचने के लिए अगस्त, 1988 में टेंडर आमंत्रित किए थे ।

(ग) कृषि मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश जारी किए थे कि वे प्राइवेट पार्टियों को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए कैल्शियम एमोनियम नाईट्रेट न बेचे क्योंकि घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का दुरूपयोग करने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं । तथापि, निगम को केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्व क सरकारी क्षेत्र/संयुक्त सैक्टर के उपक्रमों को घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट बेचने की इजाजत दी गई थी ।

(घ) निगम ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार टैंडर इन्क्वायरी जारी की थी ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचनानुसार रबी मौसम 1988-89 के दौरान कृषि प्रयोजनों के लिए जहां कहीं भी मानक कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का स्टाक पड़ा था, कृषि मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी 9,542 मीटरी टन मानक कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट की समस्त मात्रा राज्य सरकारों के पक्ष में जारी कर दी थी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्वामित्व के सरकारी क्षेत्र/संयुक्त सैक्ट र के उपक्रमों, जिन्हें औद्योगिक प्रयोजन ों के लिए घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट की जरूरत है, से इसे खरीदने के लिए कहे ताकि इस घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट के पुराने स्टाक का निपटान करने में भारतीय खाद्य निगम को मदद की जा सके ।

गुजरात में फसल बीमा योजना

2817. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अधीन आज तक राज्यवार कितने किसानों के भूमि क्षेत्र को शामिल किया गया हैं ;

(ख) माननीय कृषि मंत्री द्वारा गुजरात के किसानों को क्या आश्वासन दिया गया था और इस आश्वासन को कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि मांगी गई है और यह राशि उन्हें कब तक दे दिये जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वृहत फसल बीमा योजना के तहत 1987-88 के दौरान कवर किए गए किसानों की संख्या और क्षेत्र को दर्शाने वाला एक राज्यवार विवरण पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(नीचे देखिये)

(ख) और (ग) गुजरात के खरीफ, 1987 के दावों के शीघ्र निपटान के लिए किसानों के एक संगठन का एक प्रतिनिधि कृषि मंत्री से मिला था। विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि वृहत फसल बीमा योजना क तहत गुजरात में खरीफ,

1987 की खड़ी बीमित फसलों को जहां कहीं भी हानि हुई है, वहां सरकार ऐसे दावों को शीघ्रता से निपटाएगी । ऐसे दावों के संबंध में जिनकी और छानबीन किए जाने की जरूरत है, उन पर कृषि मंत्रालय अपने विचार प्रस्तुत करेगा । बृहत फसल बीमा योजना के तहत खरीफ, 1987 मौसम के लिए गुजरात के लिए किए गए दावों की कुल राशि 213.61 करोड़ रुपए है । गुजरात के खरीफ 1987 के दावों को निपटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कवर किए गए किसानों की सं० (हजार में)	कवर किया गया क्षेत्र (लाख है० में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	897.20	22.05
2.	असम	126.70	0.26
3.	बिहार	1104.70	10.57
4.	गोवा	1.90	0.02
5.	गुजरात	548.80	16.11
6.	हिमाचल प्रदेश	5.60	0.05
7.	जम्मू व कश्मीर	47.30	0.67
8.	कर्नाटक	249.10	4.44
9.	केरल	45.20	0.52
10.	मणिपुर	8.90	0.05
11.	मेघालय	1.40	0.02
12.	मध्य प्रदेश	583.00	15.98
13.	महाराष्ट्र	1205.30	17.09
14.	उड़ीसा	319.60	4.10
15.	त्रिपुरा	6.30	0.04
16.	तमिलनाडु	221.60	2.93
17.	उत्तर प्रदेश	1020.80	18.94
18.	पश्चिम बंगाल	466.00	2.87
19.	अंडमान व निकोबार	0.60	0.01
20.	दिल्ली	0.10	नगण्य
21.	पांडिचेरी	2.00	0.04
22.	राजस्थान	शून्य	एस. एन. आई.
	सकल योग :	6862.10	116.76